

निविदा फार्म मूल्य 1000.00 रू0 जी0एस0टी0 सहित  
ऊधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, खटीमा  
निविदा प्रपत्र

केन, क्रेट सफाई, दुग्ध फिलिंग, दही, छाछ व मठ्ठा फिलिंग कार्य  
हेतु—(तकनीकी बिड)—01

- 1- निविदादाता का नाम:- .....  
2- निविदादाता का पूरा स्थाई पता प्रमाण सहित:- .....  
.....  
.....  
3- पत्राचार का पता प्रमाण सहित:-.....  
.....
- निविदादाता का  
फोटो

तकनीकी बिड में निम्न प्रपत्र संलग्न करने आवश्यक है:-

- 4- श्रम विभाग उत्तराखण्ड का पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें।  
5- भविष्यनिधि कार्यालय का पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें।  
6- जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें।  
7- ई0एस0आई0 पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।  
8- पैन कार्ड एवं विगत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न की छाया प्रति संलग्न करें।  
9- कार्य अनुभव प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियाँ संलग्न करें।  
10- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।  
11- निविदा के समक्ष अर्नेस्टमनी का विवरण—(मूल प्रति संलग्न करें)  
रसीद/ड्राफ्ट संख्या.....दिनांक.....धनराशि.....  
12- निविदादाता द्वारा लिफाफे के ऊपर स्पष्ट शब्दों में केन, क्रेट सफाई, दुग्ध फिलिंग,  
दही, छाछ व मठ्ठा फिलिंग कार्य हेतु निविदा अंकित की जाये।  
13- निविदा कोरियर/पंजीकृत डाक अथवा निविदा पेटिका में डाले जाने पर ही मान्य होगी।  
निविदा हेतु शर्तें संलग्न है।

दिनांक:-.....

स्थान:-.....

हस्ताक्षर निविदादाता  
निविदादाता का नाम:-.....  
पिता का नाम:-.....  
पूरा पता :-.....  
फर्म का नाम:-.....  
मो0/फोन न0.....

ऊधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, खटीमा  
निविदा प्रपत्र

केन, क्रेट सफाई, दुग्ध फिलिंग, दही, छाछ व मठ्ठा फिलिंग कार्य  
हेतु—(वित्तीय बिड)—02

1— निविदादाता का नाम:—.....

.....

2— निविदादाता का पता:—.....

.....

(अ) स्थाई पता:—.....

(ब) पत्राचार का पता:—.....

.....

3— सर्विस चार्जेज की दरें (प्रतिशत में )

(अंकों में)—.....

(शब्दों में)—.....

दिनांक:—.....

स्थान:—.....

हस्ताक्षर निविदादाता

निविदादाता का नाम:—.....

पिता का नाम:—.....

पूरा पता :-.....

फर्म का नाम:—.....

मो०/फोन न०.....

**उधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, खटीमा**  
**केन, क्रेट सफाई, दुग्ध फिलिंग कार्य, दही, छाछ व मठ्ठा फिलिंग कार्य**  
**हेतु निर्धारित शर्तें**

(निविदा लिफाफे के ऊपर निविदादाता का नाम व पता तथा संदर्भित कार्य का उल्लेख किया जाये।)

01— यह कि निविदा टू-बिड सिस्टम के आधार पर सम्पन्न की जायेगी, निविदादाता को एक लिफाफे में तकनीकी बिड रखी जानी है उसमें तकनीकी बिड लिखा जाये तथा दूसरे लिफाफे में वित्तीय बिड रखकर उस लिफाफे के ऊपर वित्तीय बिड लिखा जाये एवं दोनों लिफाफों को अलग-अलग बन्द कर बड़े लिफाफे में पुनः बन्द कर निविदा देनी होगी। तकनीकी बिड में समस्त शर्तें पूर्ण होने पर ही वित्तीय बिड खोली जायेगी।

02— यह कि निविदा निष्पादन के उपरान्त किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में विवाद का अन्तिम निर्णय निदेशक/निबन्धक डेरी विकास विभाग उत्तराखण्ड/दुग्ध सहकारी समितियों उत्तराखण्ड हल्द्वानी (नैनीताल) का निर्णय अन्तिम होगा, जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।

03— यह कि उत्तराखण्ड शासन श्रम एवं सेवायोजन विभाग संख्या-289/VIII-1/24-228 (श्रम)/2001-पार्ट-II दिनांक-15 मार्च, 2024 का अनुपालन किया जाना आवश्यक है।

04— यह कि यू0सी0डी0एफ0 की वेबसाइट [www.ucdfaanchal.org](http://www.ucdfaanchal.org) से निविदा पत्र डाऊनलोड करने पर मु०-1000.00 रू० बैंक ड्राफ्ट उधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, खटीमा के नाम से संस्था के पक्ष में देय हो पृथक से संलग्न करना होगा, अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

05— इस संस्था के खटीमा दुग्धशाला में केन, ढक्कन क्रेट सफाई कार्य हेतु 15 श्रमिक, दुग्ध पैकिंग हेतु 11 श्रमिक, दही फिलिंग एवं छाछ/मठ्ठा फिलिंग हेतु 07 श्रमिक कुल 33 श्रमिक उपलब्ध कराने होंगे। साथ ही संस्था की आवश्यकतानुसार श्रमिक घटाय एवं बढ़ाये जा सकते हैं।

06— निविदादाता को इस संस्था की नाम मात्र की सदस्यता ग्रहण करनी होगी।

07— यह कि निविदादाता द्वारा मु०-10,000.00 रू० (दस हजार रूपया) अर्नेस्टमनी के रूप में संघ कोशागार में जमा कर रसीद की छाया प्रति फार्म के साथ संलग्न करनी होगी। बैंक ड्राफ्ट होने की स्थिति में ड्राफ्ट की मूल प्रति संलग्न करनी होगी। अन्यथा निविदा फार्म पर विचार नहीं किया जायेगा।

08— निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त निविदादाता को अपना चरित्र प्रमाण पत्र एवं पासपोर्ट साइज की दो फोटो स्वं प्रमाणित करवाकर उपलब्ध कराना होगा।

09— यह कि निविदादाता का श्रम संविदा अधिनियमों के अन्तर्गत उत्तराखण्ड शासन के श्रम विभाग में पंजीकरण होना अनिवार्य है तथा वांछित लाईसेन्स जो वैद्य हो, उसकी स्वं प्रमाणित छाया प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी जिसकी मूल प्रति अनुबन्ध के समय प्रस्तुत करनी होगी।

10— यह कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) में रजिस्टर्ड फर्मों को उत्तराखण्ड शासन की क्रय वरीयता नीति 2019-शासनादेश सं० 1542/vII-3-19/143-उद्योग/2003 दिनांक 20 अगस्त, 2019 की शर्तों के अनुरूप निविदा में छूट प्रदान की जायेगी। पंजीकृत फर्म/निविदादाता को तत्सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध कराना होगा।

11— निविदादाता को निविदा फार्म के साथ भविष्य निधि, जी०एस०टी० रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं ई०एस०आई० पंजीकरण की स्वं प्रमाणित छाया प्रति जो वैद्य हो निविदा फार्म के साथ संलग्न करना होगा।

12— निविदादाता को पैन कार्ड एवं विगत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न की स्वं प्रमाणित छाया प्रति निविदा फार्म के साथ संलग्न करना होगा।

- 13— निविदादाता को कार्य अनुभव प्रमाण पत्रों की स्वं प्रमाणित छाया प्रति निविदा फार्म के साथ संलग्न करना होगा।
- 14— निविदादाता को समक्ष अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र की स्वं प्रमाणित छाया प्रति निविदा फार्म के साथ संलग्न करना होगा।
- 15— निविदादाता को निविदा के समक्ष अर्नेस्टमनी का विवरण—मूल प्रति निविदा फार्म के साथ संलग्न करना होगा।
- 16— निविदादाता के बिल से आयकर की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
- 17— जी0एस0टी0 का भुगतान इस संस्था द्वारा किया जायेगा जिसे नियमतः निविदादाता /संस्था द्वारा प्रतिमाह जमा किया जाना अनिवार्य होगा एवं उक्त सूचना प्रतिमाह उपलब्ध करानी होगी।
- 18— यह कि निविदादाता द्वारा श्रमिकों का निर्धारित ई0पी0एफ0, ई0पी0एफ0 कार्यालय में जमा करना होगा तथा प्रत्येक माह श्रमिकों के ई0पी0एफ0 जमा की रसीद श्रमिकों को उपलब्ध करायी जायेगी। निविदादाता द्वारा बिल के साथ पिछले महीने के ई0पी0एफ0 जमा रसीद के साथ फर्म न0-31 / ई0सी0आर0 की प्रति भी उपलब्ध करानी अनिवार्य होगी, ऐसा न करने की स्थिति में संस्था द्वारा अनुबन्ध को कभी भी समाप्त करने का अधिकार होगा।
- 19— निविदादाता को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृत वेतन/मजदूरी अथवा संस्था द्वारा निर्धारित मजदूरी श्रमिकों को देनी होगी।
- 20— निविदादाता द्वारा निर्धारित समय पर कार्य पूर्ण न होने व न्यूनतम मजदूर न लगाने की स्थिति में संस्था द्वारा पृथक से व्यय की गयी धनराशि निविदादाता के बिल से काट ली जायेगी।
- 21— यह कि संस्था के कार्यरत प्रतिनिधि जैसे सुपरवाइजर/प्रभारी के निर्देशों का पालन निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रमिकों को करना होगा यदि निविदादाता के श्रमिक किसी भी प्रकार के निर्देशों की अवहेलना करते हैं या अभद्र व्यवहार करते हैं तो इस संस्था द्वारा सम्बन्धित श्रमिक को प्रथम बार अभद्र व्यवहार करने पर 10.00 रु0 के स्टाम्प पेपर पर शपथपत्र नोटरी करवाकर प्रस्तुत करनी होगी द्वितीय बार ऐसी पुनरावृत्ति करने पर संस्था द्वारा कार्य से पृथक कर दिया जायेगा जिसे निविदादाता द्वारा मानना अनिवार्य होगा।
- 22— निविदादाता को अपने श्रमिकों पर पूर्ण नियंत्रण रखना होगा दिन एवं रात्रि पाली में अपने श्रमिक का पर्यवेक्षण, कार्य आवंटन, कार्य का अनुश्रवण नियमित रूप से करना होगा तथा अपने श्रमिकों को प्रत्येक पाली में कार्य के लिए प्रेरित करना होगा। श्रमिकों को अपने कार्य स्थल पर 08 घण्टे उपस्थित रहना अनिवार्य होगा, 08 घण्टे से कम अवधि होने पर अनुपातिक कटौती की जायेगी।
- 23— निविदादाता के किसी भी श्रमिक द्वारा लापरवाही करने, चोरी करने अथवा संस्था की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने की दशा में उस श्रमिक को निविदादाता द्वारा तत्काल कार्य से पृथक करना होगा तथा निविदादाता के श्रमिकों द्वारा की गई क्षति की पूर्ति का दस गुना धनराशि की वसूली संस्था द्वारा निविदादाता के देय बिल से कर ली जायेगी।
- 24— निविदादाता को अपने श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत प्रचलित स्वीकृत दरों पर भुगतान नियमानुसार समय से करना होगा। निविदादाता द्वारा प्रत्येक माह श्रमिकों का बिल माह के अन्त के बाद आगामी माह के 03 तारीख तक भुगतान हेतु नियमित रूप से प्रशासन अनुभाग में प्रस्तुत करना होगा।
- 25— निविदादाता द्वारा अपने श्रमिकों की दैनिक उपस्थिति, साप्ताहिक अवकाश आदि का विवरण प्रपत्र 12 पर रखना होगा। जिस पर श्रमिकों के हस्ताक्षर हों।
- 26— निविदादाता द्वारा लेबर एक्ट के अन्तर्गत आने वाले वैधानिक अभिलेख नियमित रूप से रखने होंगे तथा श्रम विभाग के नियमों का अक्षरतः पालन करना होगा।

27— निविदादाता द्वारा इस संस्था को उपलब्ध कराये गये श्रमिकों की किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने की दशा में पूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा तथा श्रमिक की क्षति पूर्ति निविदादाता को वहन करनी होगी।

28— निविदादाता द्वारा संस्था के अनुबन्धित कार्यों को करवाने की श्रमिकों का समस्त वैधानिक क्लेम जैसे दुर्घटना, दुर्घटना बीमा, बोनस, ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0 आदि की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी संदर्भित कार्य में निविदादाता द्वारा लगाये गये श्रमिकों का ई0पी0एफ0 मध्य नियोक्ता अंशदान आदि का भुगतान संस्था द्वारा वहन किया जायेगा तथा इससे सम्बन्धित समस्त रिकार्ड निविदादाता द्वारा रखा जायेगा।

29— निविदादाता द्वारा जमानत की धनराशि मु0—2,00,000.00 रू0(दो लाख रूपया) नगद जमानत के रूप में संस्था के कोषागार में जमा करना होगा।

30— निविदादाता को दिन व रात्रि पाली में दुग्ध समितियों से प्राप्त होने वाले दूध की भरी केनों को दुग्ध वाहनों से उतारकर कॉटे के समीप रखना और उन केनों को दूध तोल हेतु कॉटे पर पलटना एवं खाली केन व ढक्कनों की भली-भाँति सफाई करना एवं नगर दुग्ध आपूर्ति की क्रेटों को साफ करना होगा। साथ ही स्टोरेज टैंको की सफाई, टैंकरों की सफाई, डॉक की सफाई, केन व क्रेट वासर की सफाई, क्रेट वासर से निकलने वाले पॉलीफिल्म को स्क्रेपयार्ड तक डालना, क्रेट वासर एवं केन वासर के चारों तरफ की सफाई करना होगा। केन,ढक्कन, क्रेट की सफाई हेतु डिटरजैन्ट संस्था द्वारा निविदादाता को उपलब्ध कराया जायेगा।

31— निविदादाता को प्रतिदिन कार्यरत पाली में आवश्यकतानुसार सैचिट मशीन से निकलने वाले दुग्ध पैकेटों को साफ क्रेटों में रखने एवं इन क्रेटों को कोल्ड स्टोर में यथास्थान लगाने स्टोर से पॉलीफिल्म निकालना व पॉलीफिल्म स्टोर रूम तक लाना व कोल्ड स्टोर से दुग्ध क्रेटों को नगर दुग्ध आपूर्ति हेतु दिन एवं रात्रि दोनो पाली में निर्धारित स्थान पर डिस्पैच डॉक पर लगाने, सैचिट मशीन व सैचिट मशीन के चारो तरफ अपने कार्य क्षेत्र, कोल्ड स्टोर व डिस्पैच डॉक की सफाई करने व लीकेज दूध के पैकेटो को फाडकर दूध डम्प टैंक में डालना, दूध के स्टोरेज टैंक जिससे दूध की फिलिंग हो रही है को साफ करना व खाली पडे दूध पैकेटो को एकत्र कर स्क्रेपयार्ड में डालना होगा। इसके अतिरिक्त पैकड दूध को डिस्पैच से पूर्व लीकेज की छटनी कराना होगी।

32— निविदादाता को प्रतिदिन कार्यरत पाली में आवश्यकतानुसार मशीनो द्वारा पैकिंग होने वाले दही, छॉछ व मठ्ठा को क्रेटों में रखने एवं इन क्रेटों को कोल्ड स्टोर में यथास्थान लगाने स्टोर से पॉलीफिल्म व दही कप निकालना व पैकिंग स्थल तक लाना व कोल्ड स्टोर से दही, छॉछ व मठ्ठा की क्रेटों को नगर दुग्ध आपूर्ति हेतु दिन एवं रात्रि दोनो पाली में निर्धारित स्थान पर डिस्पैच डॉक पर लगाने, पैकिंग मशीनो के चारो तरफ अपने कार्य क्षेत्र, कोल्ड स्टोर व डिस्पैच डॉक की सफाई करने व लीकेज दही, छॉछ व मठ्ठा पैकेटो को फाडकर छॉछ व मठ्ठा डम्प टैंक में डालना, स्टोरेज टैंक जिससे दही, छॉछ व मठ्ठा की फिलिंग हो रही है को साफ करना व खाली पडे दही, छॉछ व मठ्ठा पैकेटो/पॉलीफिल्म एवं दही कप को अलग-अलग पैकेटो में डालकर स्क्रेपयार्ड में डालना होगा।

33— केन-क्रेटों की सफाई के अतिरिक्त केन-क्रेट की सफाई से पूर्व व पश्चात अपने समस्त कार्यक्षेत्र को निविदादाता द्वारा स्वच्छ रखना होगा। कार्यों को निर्धारित समय पर पूर्ण करने हेतु निविदादाता को आवश्यकता के अनुरूप श्रमिक उपलब्ध कराने होंगे।

34— निविदादाता को आवंटित कार्य के सम्पादन में लगाये गये श्रमिकों की सूची प्रत्येक माह कारखाना प्रबन्धक को दी जायेगी।

35— निविदादाता को संस्था द्वारा आवंटित कार्यों के सम्पादन में लगाये गये श्रमिकों की सूची पहचान पत्र सहित कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी। श्रमिक लगाने पहले सम्बन्धित श्रमिक का पहचान पत्र उपलब्ध कराने के पश्चात ही कार्य पर लिया जायेगा एवं सभी श्रमिकों को

स्काई कलर की स्वच्छ यूनीफार्म जिसमें हाफ शर्ट, पैन्ट व गोल कैप या फुल पैन्ट, फुल शर्ट व गोल कैप एवं सेफटी सूज उपलब्ध कराना होगा। इसके अभाव में श्रमिकों को ड्युटी पर नहीं लिया जायेगा। जिसमें ऑचल ब्राण्ड लोगो लगाना अनिवार्य होगा।

36— निविदादाता द्वारा संस्था में कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये श्रमिक किसी भी यूनियन, ट्रेड यूनियन का सदस्य नहीं होगा निविदादाता इस आशय का शपथ पत्र संस्था को उपलब्ध करायेगा, निविदादाता का संस्था में कार्यरत श्रमिक किसी भी यूनियन का सदस्य होने पर यह अनुबन्ध समाप्त किये जाने का पूर्ण अधिकार संस्था को होगा।

37— यदि निविदादाता की निविदा स्वीकृत कर ली जाती है तथा निविदादाता के साथ किये गये अनुबन्ध समयावधि पूर्ण होने पर समाप्त होती है तब निविदादाता का कार्य संतोषजनक होने की दशा में संस्था की आवश्यकतानुसार अनुबन्ध को **तीन-तीन माह के लिए दो बार** बढ़ाया जा सकता है, जिसे द्वितीय पक्ष को मानना अनिवार्य होगा।

38— निविदादाता अपना एक अधिकृत प्रतिनिधि संस्था के मुख्यालय खटीमा में उपलब्ध करायेगा। जिससे संस्था अथवा उसका कोई प्रतिनिधि किसी समय पर उसे उचित निर्देश दे सके, ताकि दुग्ध संघ के किसी कार्य में किसी भी समय श्रमिक उपलब्ध न होने से बाधा उत्पन्न न हो।

39— यह कि यदि कोई श्रमिक मादक पदार्थों(बीडी, सिगरेट,गुटखा, शराब) का सेवन करते हुये पाया जाता है या गेट में सुरक्षा गार्ड द्वारा चैकिंग के दौरान उसके पास से मादक पदार्थ मिलते हैं तो उस श्रमिक को पृथक किया जाना होगा तथा उसके स्थान पर दूसरा श्रमिक उपलब्ध कराना होगा।

40— यह कि निविदादाता की निविदा दर समान होने पर निविदा निम्नवत निस्तारित की जायेगी।

प्रथम वरीयता डेरी व्यवसाय में कार्यरत अनुभवी फर्म को वरीयता दी जायेगी।

द्वितीय वरीयता टर्न ओवर विगत वर्ष के आधार पर फर्म को वरीयता दी जायेगी।

तृतीय वरीयता लाटरी सिस्टम द्वारा फर्म को वरीयता दी जायेगी।

41— यह कि जिस निविदादाता की दरें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत वेतन भुगतान कर पाने की सीमा से कम होगी, उस निविदादाता की निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

42— यदि कोई निविदादाता/फर्म प्रेषित निविदा दरों में शून्य शुल्क (निल चार्ज) अंकित करता है तो वह निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी, तथा निविदा दशमलव के दो अंक बाद तक ही मान्य होगी। सर्विस चार्ज ऋणात्मक में स्वीकार नहीं होंगी।

43— यह कि निविदा हेतु निर्धारित अर्हता (तकनीकी/वित्तीय) पूर्ण न होने की स्थिति में निविदा स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

44— यह कि निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रमिकों में से किसी भी श्रमिक को दुग्धशाला/अनुभाग में कार्य पर लगाया जा सकता है।

45— यह कि निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रमिक जो संस्था की दुग्धशाला में कार्यरत हैं की उपस्थिति गेट पर लगी फेस बायोमेट्रिक मशीन से लगानी होगी इसी के आधार पर उपस्थिति प्रमाणित होगी।

### निविदादाता की घोषणा

केन, क्रेट सफाई, दुग्ध फिलिंग, दही, छाछ व मठ्ठा फिलिंग कार्य हेतु प्रकाशित निविदा सूचना के संदर्भ में मेरे द्वारा निविदा फार्म के साथ संलग्न निर्धारित शर्तों को भली भांति पढ लिया गया है। मैं निविदा की शर्तों के अनुसार श्रमिक उधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, खटीमा में लगाने तथा अनुबन्ध करने के लिए सहमत हूँ।

उपर्युक्त प्रविष्टियाँ मैंने स्वयं भरी/भरवायी है, और मेरी जानकारी में पूर्ण रूप से सही हैं। यदि कोई भी सूचना/सूचनाये गलत पायी जाती हैं, तब संस्था को निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है।

निविदादाता के हस्ताक्षर .....

निविदादाता का नाम .....

पूरा पता.....

मो०नं० .....